फर्द अहकाम

न्यायालय मिथिला शर्मा — बनाम राज० सरकार

: ____________ / 20 ________

मुकदमा संख्या / वर्ष 161 / 2024

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14/6/2024	प्रार्थीया की प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया। प्रार्थीया को प्रार्थना पर सुना गया प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश बाद तामील [illegible] से [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:13:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : ..../2024
निर्णय दिनांक :14.06.2024

1. मिथिला शर्मा पत्नी स्व. श्री अवध किशोर शर्मा
2. रघु कंडीरा पुत्र स्व. श्री अवध किशोर शर्मा
3. अमन कंडीरा स्व. श्री अवध किशोर शर्मा
समस्त जातियान् ब्राह्मण समस्त निवासियान् सीताबाड़ी, एयरपोर्ट के पास, टोंक रोड़, सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, पता तहसील कार्यालय मैन मार्केट, सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खोखावास, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र सांगानेर अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 2, खाता संख्या पुराना 2 के आराजी खसरा नम्बर 110/5 रकबा 0.0700 हैक्टयेर स्थित है, जो वर्तमान में अवध बिहारी पुत्र रामेश्वर के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या नया 2, खाता संख्या पुराना 2 के आराजी खसरा नम्बर 110/5 रकबा 0.0700 हैक्टयेर स्थित ग्राम खोखावास, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र सांगानेर अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर बाबत् हुए गलत इन्द्राजात "अवध बिहारी शर्मा" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी संख्या 1 के पति तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का सही एवं वास्तविक नाम "अवध किशोर शर्मा" अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या नया 2, खाता संख्या पुराना 2 के आराजी खसरा नम्बर 110/5 रकबा 0.0700 हैक्टयेर स्थित ग्राम खोखावास, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र सांगानेर अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर बाबत् हुए गलत इन्द्राजात "अवध बिहारी शर्मा" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी संख्या 1 के पति तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का सही एवं वास्तविक नाम "अवध किशोर शर्मा" अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:13:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को ग्राम खोखावास, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र सांगानेर अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 2, खाता संख्या पुराना 2 के आराजी खसरा नम्बर 110/5 रकबा 0.0700 हैक्टयेर में प्रार्थी संख्या 1 के पति तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का नाम "अवध बिहारी शर्मा" गलत इन्द्राज है को दुरूस्त कर प्रार्थी संख्या 1 के पति तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता का सही एवं वास्तविक नाम "अवध किशोर शर्मा" अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:13:48 IST
Reason: SelfAttested